(1)

14

क्रमांक **7613**

मूल्य : 50 रुपये

नगर विकास न्यास, जोधपुर

प्रदर्श...6...

पट्टा-विलेख

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 'ख' के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः आवंटित भूखण्डों के उपयोग हेतु)

सहायक आयुक्त ... जोधपुर 07/11/25

यह पट्टा आज दिनांक 1/3/7/06 सन् 200 6.... को एक ओर राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसमें इसके पश्चात् पट्टाकर्त्ता कह कर सम्बोधित किया गया है। और द्वितीय पक्षकार श्री/श्रीमती मयूरश्री शिक्षा एव विकास संस्थान जरिये अध्यक्ष सावलसिंह सोखला निवासी मगरा पूंजला, मण्डोर जोधपुर (जिनकों इसमें इसके पश्चात् पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया गया है और इस इबादत में जहाँ कही प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकील अलैह भी सम्मिलित होगें) के बीच लिखा गया है ।

इस बात का साक्षी है कि रूपये 2,70,080/- अक्षरे दो लाख सत्तर हजार अस्सी रूपये मात्र की रकम के नियमन शुल्क जो पट्टेदार द्वारा अदा कर दिया गया है । (और जिसकी रसीद सरकार इसके द्वारा स्वीकार करती है) और इसमें उल्लेखित शर्तो और करारों जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लाट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर सम्बोधित किया गया है) नियमन और पुनः आवंटित करती है जो .... योजना में स्थित है और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्ण रूपेण है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शें में दिखलाया गया है, और जिसे पूर्व स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, वैध शर्तो और करारों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. उक्त भूखण्ड शहरी जमाबन्दी के आधार पर लीज होल्ड पर पुनः आवंटित किया गया है । लीज की अवधि, 99 वर्ष होगी ।
2. (अ) 10 वर्ष की अग्रिम शहरी जमाबन्दी एक मुश्त जमा करवाने पर लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदत्त किया जायेगा, यह राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-5(2)न.वि.वि.23/99दिनांक15.11.99 के अनुसार शहरी जमाबन्दी आरक्षित दर के बजाय केवल नियमन राशि ..10 रु प्रति व.ग.. रूपये की 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से देय होगी ।

   एकमुश्त लीज राशि जमा न करवाने पर पट्टेदार, नगर विकास न्यास, जोधपुर के कार्यालय में प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में आरक्षित दर से गणना की गई भूखण्ड की कुल कीमत की 2.5 प्रतिशत की दर से शहरी जमाबन्दी जमा करायेगा। निर्धारित तिथि तक जमा नहीं करवाने की दशा में नियमानुसार देय ब्याज राशि वसूल की जावेगी 31 मार्च से पूर्व अग्रीम शहरी जमाबन्दी जमा करवाने पर 10 प्रतिशत की छूट भी देय होगी ।
3. शहरी जमाबन्दी की निर्धारित धनराशि में प्रत्येक 15 वर्ष व्यतीत होने के तुरन्त पश्चात् तथा प्रत्येक हस्तातंरण पर 25 प्रतिशत उत्तरोतर वृद्धि होगी 15 वर्ष की अवधि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से संगणित की जावेगी ।
4. उपरोक्त तारीख तक किसी रकम या परिवर्धित रकम या उसके किसी अंश की जो शहरी जमाबन्दी के कारण वाजिब हो, अदायगी न करने पर सरकार ऐसी रकम या उसके अंश की बकाया की वसूली के लिए निर्देशित किया गया है, वसूल करेगी और वसूल करने के लिए सक्षम होगी ।
5. उक्त भूखण्ड का उपयोग मात्र रूपान्तरित भू उपयोग हेतु ही किया जायेगा। अन्य उपयोग न्यास की लिखित अनुज्ञा से ही किया जा सकेगा ।
6. उक्त भूखण्ड पर निर्माण न्यास से निर्माण स्वीकृति ले कर ही किया जा सकेगा।
7. इस लीज डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शडयूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी. एफ.सी. अथवा नेशनल हाऊसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋण दात्री संस्थाओं के पास ऋण प्राप्त करने हेतु गिरवी रखने के लिए पट्टाधारक स्वतंत्र रहेगा।

कृ०पृ०उ०

8. पट्टेदार द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तांतरण जोधपुर नगर विकास न्यास के नियमों के अनुसार करवाना होगा ।

9. पट्टेदार द्वारा पट्टे की उपरोक्त शर्तो की पूर्ण पालना की जावेगी यदि किसी भी शर्त या शर्तो का उल्लघंन किया गया तो उक्त भूखण्ड या उस पर बने हुए भवन, यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे की राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।

योजना का नाम : ....

प्रकरण सं. 443/06 निर्णय दिनांक 18/7/06 नामान्तरकरण सं. 783

ग्राम कुड़ी जार (कुड़ीजार) खसरा नं. 73 भूखण्ड सं. शैक्षणिक संस्थान हेतु क्षेत्रफल 27007 वर्गगज

भूखण्ड के पड़ौस:- नाप (लम्बाई X चौड़ाई)

उत्तर अन्य भूमि पूर्व खसरा नं० 71 & 64

दक्षिण खसरा नं० 72 पश्चिम रोड 120'

उक्त भूमि के पट्टा विलेख के साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने ऊपर लिखित तारीख और वर्ष को इस विलेख पर हस्ताक्षर कर दिये है।

सरकार की ओर से आज दिनांक 31/7/06 को

श्री पी० आर० पण्डत सक्षम अधिकारी न्यास,जोधपुर

ने निम्न की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये ।

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर मय पद

सचिव एवं प्राधिकृत प्रतिनिधि अध्यक्ष
नगर विकास न्यास, जोधपुर

Sanwal Sd/ Sankhu

पट्टेदार के हस्ताक्षर

साक्षी :-

1- नाम विरेन्द्र सिंह चौधरी

पद तहसीलदार

साक्षी के हस्ताक्षर

2- नाम विश्वजीत रलहन

पद क० लिपिक

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी :-

1- नाम चेतन सिंह गहलोत

पिता/पति का नाम भंवरलाल

पता गोपी का बेरा, मण्डोर

साक्षी के हस्ताक्षर

2- नाम लक्ष्मण सिंह सोलंकी

पिता/पति का नाम किशन सिंह सोलंकी

पता गोपी का बेरा मण्डोर

साक्षी के हस्ताक्षर

SITE PLAN FOR LEASE DEED OF PLOT No KHASRA No 73
VILLAGE :- PAHUAR JODHPUR (PROP MAYURAKSHI SHRI ... VIKAS SANSTHAN AT MANDALNATH CIRCLE MATHANIA ROAD JODHPUR.
AREA:- 13 BIG 12 BISWA OR = 27007-00 SQR.YDS.

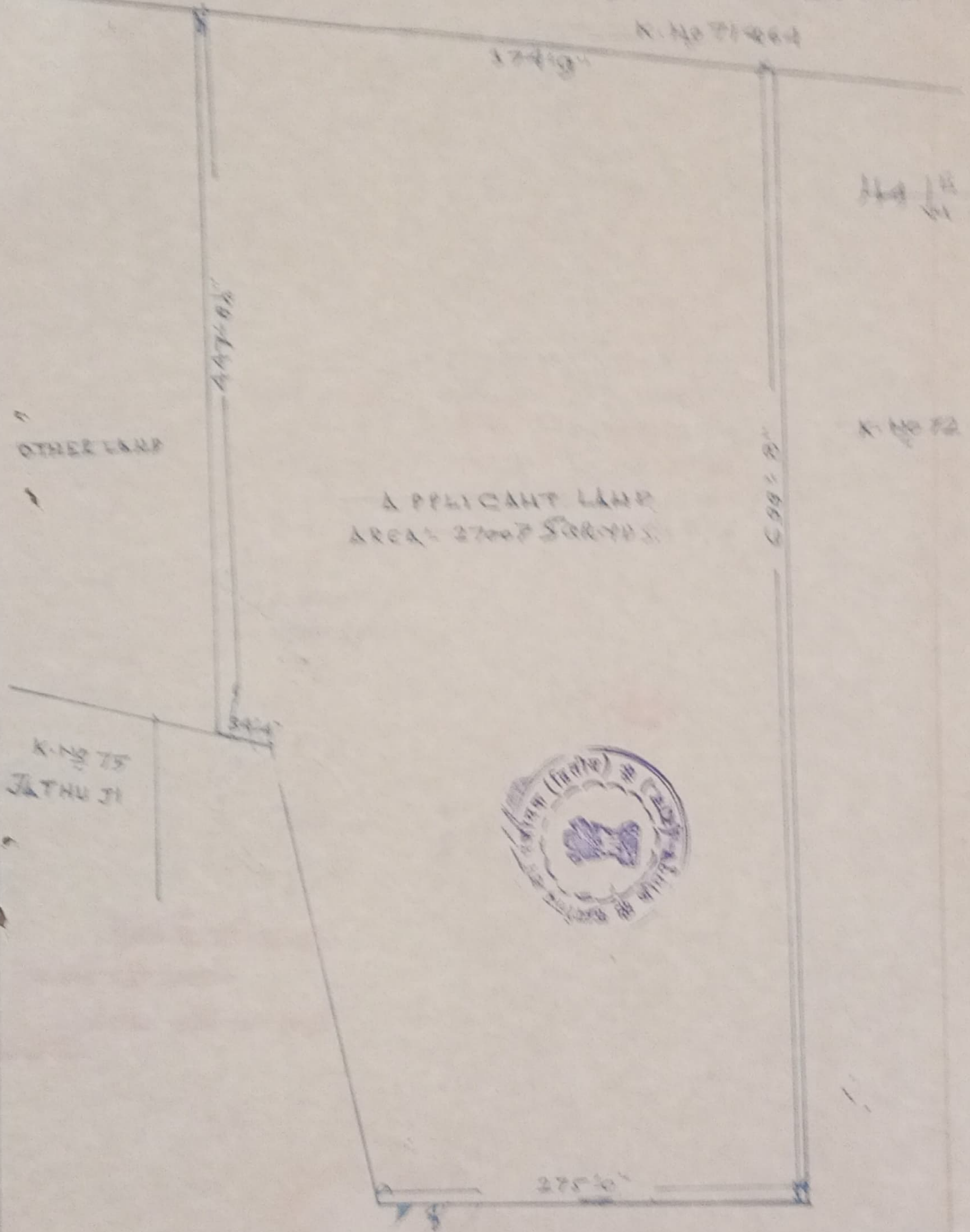

उप नगर नियोजक
नगर सुधार न्यास, जोधपुर

सचिव एवं प्राधिकृत अधिकारी ...
नगर विकास न्यास, जोधपुर

आज दिनांक 01/8/2006 को पुस्तक सं० I
जिल्द संख्या 535 पृष्ठ संख्या 58 क्रम
संख्या 2006011260 पर पंजीबद्ध किया गया।
दस्तावेज की फोटो स्टेट कॉपी अतिरिक्त पुस्तक
संख्या I, IIIrd, IV की जिल्द संख्या 1583
के पृष्ठ संख्या 55 से 60 पर चस्पा किया गया।

उप पंजीयक
(द्वितीय) जोधपुर

उप पंजीयक (द्वितीय)
जोधपुर

कार्यालय उप पंजीयक (द्वितीय) जोधपुर (राज.)

आज दिनांक 1 माह August सन् 2006 को 11.36 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SANWAL SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HEERA LAL
उम्र 0 वर्ष, जाति MALI SANKHLA व्यवसाय BUSINESS
निवासी MANGRA PUNJLA JODHPUR
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, JODHPUR (SECOND)
(2006014207)
(Lease deed for local bodies (Patta))

उप पंजीयक (द्वितीय)
जोधपुर

रसीद नं0 2006014493 दिनांक 01/08/2006
पंजीयन शुल्क रू0 2980/–
प्रतिलिपि शुल्क रू0 200/–
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/–
अन्य शुल्क रू0 0/–
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 100/–
कुल योग रू0 3280/–

उप पंजीयक (द्वितीय) जोधपुर

(2006014207) उप पंजीयक, JODHPUR (SECOND)
(Lease deed for local bodies (Patta))

उप पंजीयक (द्वितीय)
जोधपुर

	हस्ताक्षर	फोटो	अंगूठा
उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant) 1-SANWAL SINGH /HEERA LAL Age:0, Caste-MALI SANKHLA Ocu.-BUSINESS R/O-MANGRA PUNJLA JODHPUR			
(And Claimant) 1-UIT JODHPUR/ Age:0, Caste- Ocu.- R/O-			

	हस्ताक्षर	फोटो	अंगूठा
ने लेख्यपत्र Lease deed for local bodies (Patta) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू0 297088/– पूर्व में/मेरे समक्ष/मे सें रू0 297088/–पूर्व में ———— यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।			
उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान 1. श्री/श्रीमती/सुश्री C.L.PARIHAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री उम्र 0 वर्ष जाति व्यवसाय ADVOCATE निवासी JODHPUR ने की है जिनके			

समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2006014207) उप पंजीयक, JODHPUR (SECOND)
(Lease deed for local bodies (Patta))

उप पंजीयक (द्वितीय) जोधपुर

आज दिनांक **01/08/2006** को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 535
में पृष्ठ संख्या 58 क्रम संख्या 2006011260 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1583
के पृष्ठ संख्या 55 से 60 पर
चस्पा किया गया।

(2006014207) उप पंजीयक, **JODHPUR (SECOND)**
(Lease deed for local bodies (Patta))

उप पंजीयक (द्वितीय) जोधपुर

मैनें पूर्णतया संतोष कर लिया है कि
इस लेखपत्र का श्री **UIT JODHPUR**
के द्वारा अपने सरकारी रूप से निष्पादित
किया हैं। उन्हे उपस्थिति एवं हस्ताक्षरों
से दृष्टिक्षेप किया जाता है तथा इस लेखपत्र
को पंजीयन के लिए स्वीकृत किया जाता है।

(2006014207) उप पंजियक, **JODHPUR (SECOND)**
(Lease deed for local bodies (Patta))

उप पंजीयक (द्वितीय) जोधपुर